संख्या– 570/VI-3/2022–34(08)2022

1/75242/2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग **देहरादून : दिनांक 10 नवम्बर, 2022**

विषयः– खिलाड़ियों को खेल में चोटिल/दुर्घटना हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–72/खेल नीति/2021–22, दिनांक 16 अप्रैल, 2022 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''खेल नीति–2021'' की अधिसूचना संख्या–938/VI-3/2021–33(07)2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 के प्राविधानानुसार खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचाननें एवं विकसित करने हेतु प्रतिभा चिन्हिकरण, विकास एवं प्रशिक्षण के साथ ही प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रतिभाग कराने हेतु विशेष बल दिये जाने के साथ–साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके मनोबल को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण/प्रतियोगिता में प्रतिभाग की अवधि में होने वाली चोटिल एवं दुर्घटना से सम्बन्धित आकस्मिकता के दृष्टिगत आर्थिक सहायता अथवा बीमा का प्राविधान किये जाने के उद्देश्य को संज्ञान में लेते हुये *''श्री राज्यपाल महोदय''* खिलाड़ियों को खेल में चोटिल/दुर्घटना हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने एवं निम्नानुसार उक्त सुविधा अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं एवं इससे सम्बन्धित प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभागिता हेतु यात्रा के दौरान एवं प्रतियोगिता/प्रशिक्षण अवधि में अभ्यास के दौरान अथवा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को लगने वाली चोट अथवा घटित दुर्घटना को ही स्पोर्टस इन्जुरी के अन्तर्गत माना जायेगा तथा लाभार्थी खिलाड़ी को उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिये एवं खिलाड़ी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया गया हो।

क्र0सं0	उद्देश्य	सहायता धनराशि	पात्रता
1	2	3	4
1	मृत्यु की दशा में आश्रितों को आर्थिक सहायता	अधिकतम ₹5.00 लाख (प्रति खिलाड़ी)।	1–राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों की अवधि में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी। 2–राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से पूर्व राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की अवधि में सम्मिलित समस्त खिलाड़ी। 3–राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/प्रशिक्षण शिविर/राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने से पूर्व राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण
2	स्थाई दिव्यांगता	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा संस्तुत समस्त चिकित्सा व्ययों के अतिरिक्त अधिकतम–(क) दिव्यांगता के 40 प्रतिशत या अधिक होने की स्थिति में –₹4.00 लाख (ख) 40 प्रतिशत से कम होने की स्थिति में अधिकतम–₹2.00 लाख।	

3	गम्भीर चोट जिसके उपचार हेतु चिकित्सालय में रहना आवश्यक हो (यदि चिकित्सालय में 02 या 02 दिन से अधिक भर्ती हो)	प्रतिदिन अधिकतम ₹5,000.00 की दर से अधिकतम ₹1,00,000.00 प्रति खिलाड़ी एवं सी0एम0ओ0 द्वारा प्रमाणित चिकित्सालय की सीमा तक जो भी कम हो।	शिविर में प्रतिभागिता हेतु यात्रा अवधि भी योजना की पात्रता में सम्मिलित होगी। 4–राज्य के खेल विभाग द्वारा संचालित स्पोर्टस कॉलेज/खेल छात्रावास में अध्ययनरत खिलाड़ी। 5–सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 6–दिव्यांगता के स्तर एवं कारण को किसी सरकारी चिकित्सालय से या औषधालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित चिकित्सीय समिति द्वारा सत्यापित/प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा।
4	बीमारी/साधारण चोट की दशा में आर्थिक सहायता	अधिकतम ₹50,000.00 अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा संस्तुत वास्तविक बिल में से जो भी कम हो (प्रति खिलाड़ी)	

2— खिलाड़ियों को खेल में चोटिल/दुर्घटना हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2204–खेलकूद तथा युवक सेवायें–104–खेलकूद–14–प्रतियोगिताओं का आयोजन–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) एवं 21–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार/आर्थिक सहायता–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3— यह शासनादेश वित्त विभाग के eoffice आई0डी0 संख्या–I/73442/2022, दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Signed by Abhinav Kumar
Date: 10-11-2022 14:11:33
(अभिनव कुमार)
विशेष प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–570/VI-3/2022–34(08)2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
5. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।